आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

प्रेस नोट

शिक्षण प्रबंधन के लिये निर्देश जारी

जयपुर। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ बनाने और शिक्षक अभाव के कारण अध्ययन बाधित ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए कि अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये शिक्षण व्यवस्था चाक चौबन्द करना सुनिश्ति करें।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान श्री संदेश नायक ने बताया कि नवसृजित राजकीय महाविद्यालयों में अभी सभी जगह शिक्षक पदस्थापन कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, परंतु सभी राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रवेश कार्य पूर्ण हो गया है। अतः कोविड–19 से सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की करवाई जा रही है। इसके तहत शिक्षकों के द्वारा ही व्याख्यान रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से विद्यार्थियों को शेयर किए जा रहे हैं । उन्होंने बताया कि कुछ नवसृजित महाविद्यालयों में किन्हीं विषयों में शिक्षक पदस्थापन स्थिति शून्य हो सकती है, परंतु इस कारण विद्यार्थियों का नुकसान नहीं हो और उन्हें उचित अध्ययन मार्गदर्शन मिल सके, इसके लिए प्रत्येक महाविद्यालय प्राचार्य को इस बात का ध्यान रखने और सभी 33 जिला संसाधन सहायता समितियों के अध्यक्ष प्राचार्यों को रेस योजनान्तर्गत ऑनलाइन अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं । श्री नायक ने कहा कि आयुक्तालय इस बात का पूर्ण प्रयास कर रहा है कि कोरोना के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और उन्हें वर्चुअल माध्यम से विषय ज्ञान, मार्गदर्शन एवं समस्या निवारण की सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय में पद स्थापित सभी शिक्षक अपने– अपने विषय के ई– कंटेंट तैयार कर रहे हैं और इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग आयुक्तालय के अकादमिक प्रकोष्ठ के द्वारा की जा रही है।